19/1/26

पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। बहस सुनी। 0184 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल किया जाए। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली जिला लेख्य आगार में शामिल हो।

सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

अन्तर्गत धारा 212 RT Act 1955
प्रार्थना पत्र संख्या :– 40/23
अनुवान :– पूर्ण बनाम किशनसिह
आदेश दिनांक :– 19.01.2026

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर. खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सृष्टि जैन, (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
40/2023	28.03.2023	19.01.2026

बउनवान

1. पूर्णसिंह
2. जितेन्द्र सिंह पुत्रान श्री सुलतानसिंह जातियान राजपूत निवासी ततारपुर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1. किशनसिह
2. अजीत सिंह पुत्रान छितरसिंह जातियान राजपूत निवासीयान ततारपुर तहसील मुण्डावर
3. श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर
4. श्रीमान उपपंजियक महोदय, मुण्डावर
5. हवासिंह पुत्रान इन्द्राज निवासी ततारपुर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

–: अप्रार्थीगण

श्री अनिल यादव –: प्रार्थी अधिवक्ता
श्री सुरेश यादव –: अप्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि उपरोक्त अनुवान का प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के समक्ष विस्तृत वाकेयात के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमे मिन प्रार्थीगण को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।
2. यह है कि उपरोक्त अनुवान के प्रार्थना पत्र मे मिन प्रार्थीगण ने दस्तावेजात व शपथ पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थीगण का केस प्रायमा फैसाई पूर्णत आयद वो साबित है।
3. यह है कि विवादित आराजी हाल ख० नं0 506/0.97 हैक0, 677/0.64 हैक0, 678/0.62 है0, 679/0.75 है0, वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। जो आराजी उक्त प्रार्थना पत्र मे विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न प्रार्थना पत्र है।
4. यह है कि उक्त विवादित आराजीयात के राजस्व रिकॉड में मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी व असल अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 के नाम अंकन सामलात में हो रहा है तथा मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी व असल अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 सामलात में काबिज होकर राजस्व रिकोंड मे दर्ज अपने अपने हिस्सेनुसार

सहायक कलक्टर (का0द्वि0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी का विधिक तकासमा आज दिन तक नहीं हुआ है।

5. यह है कि असल अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 आये दिन मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी के सामलाती कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करते है, तथा राजस्व रिकोर्ड मे सामलात में इन्द्राज होने व सामलात में ही काश्त होने का बेजा फायदा उठाकर बिला विधिक तकासमा कराये ही उक्त विवादित आराजी में निर्माण कार्य करने पर उतारू है, जबकि विवादित आराजी मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी व असल अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 की शामलाती है, तथा मौके पर सामलात मे ही काश्त की जा रही है। तथा सामलाती आराजी में सभी हिस्सेदारान का प्रत्येक ईंच ईंच पर कब्जा होना कानूनन माना जाता है। इसलिए मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी का अब असल अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 के साथ सामलात में काश्त करना सम्भव नहीं रहा है। इसलिए मिन प्रार्थी अपने हिस्से दर्ज राजस्व रिर्कोड का तकासमा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स कराने का अधिकारी है। इसलिए प्रार्थना पत्र तकासमा पेश करना लाजिमी आया है।
6. यह है कि उक्त आराजी मिन प्रार्थी की माता मगन देवी के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है जो फौत हो चुकी है। लेकिन विरासत इंतकाल दर्ज नहीं हुआ है, मिन प्रार्थी की माता के असल वारिसान मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी ही है।
7. यह है कि आराजी राजस्व रिर्कोड मे मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी व असल अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 के नाम सामलात में दर्ज है तथा मौके पर भी मिन प्रार्थी व तरप्रतिवादी व असल अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 सामलात में ही काश्त कार्य कर रहे है। तथा सामलाती आराजी में प्रत्येक सहखातेदार का इंच इंच पर कब्जा होना कानून की धारणा होती है, तथा असल अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 मिन प्रार्थी के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा करते है तथा बिला तकासमा कराये ही विवादित आराजी में निर्माण कार्य करना चाहते है। इसलिए सुविधा का सन्तुलन व बैलेंस आफ कन्वीनेंस मिन प्रार्थी के पक्ष में आयद वो साबित है, तथा वाकई असल अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 ने विवादित आराजी को बिला तकासमा कराये ही बेचान कर दिया तथा मिन प्रार्थी को आराजी से बेदखल कर, मिन प्रार्थी के हिस्से पर कब्जा कर लिया तो मिन प्रार्थी को नापूर्ती होने वाली क्षति होगी जिसकी पूर्ती किसी भी प्रकार से रूपयै पैसों मे नहीं आंकी जा सकेगी तथा प्रार्थना पत्र करना ही बैमायना हो जावेगा, तथा आराजी पर अजनबी केता आ जायेगा। जिससे मुकदमे बाजी बढ जावेगी। चूकी मिन प्रार्थी के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है। इसलिए मिन प्रार्थी अपने अधिकारों की रक्षार्थ असल अप्रार्थीगण को हु० ई० दवामी से पाबंद कराने का अधिकारी है। इसलिए प्रार्थना पत्र हु० ई० दवामी पेश करना लाजिमी आया है।
8. यह है कि दिनांक 26/03/2023 को मिन प्रार्थी सामलाती आराजी मे काश्त कार्य कर रहा था तो असल अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 ने आराजी पर आकर मिन प्रार्थी के काश्त कार्य मे मजाहमत पैदा किया जिस पर मिन प्रार्थी ने मजाहमत पैदा करने से मना किया, तो असल अप्रार्थीगण सं० 1

सहायक कलक्टर (का०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

व 2 आमादा झगडा फिसाद हो गये तथा एलानिया धमकी दी है कि हम अच्छी अच्छी आराजी को बिला तकासमा कराये ही निर्माण कार्य करके रहेगें तथा तुझे आराजी से बेदखल कर देगें तथा तुझे काश्त नहीं करने देंगे। बस यही तारीख बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि पेश किया जा रहा है।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि अतः प्रार्थना पत्र हु० ई० दवामी पेशकर निवेदन है कि असल अप्रार्थीगण को ताःफैसला प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से इस अमर से पाबंद फरमाया जावे कि विवादित आराजी हाल ख० नं० 506/0.97 है0, 677/0.64 है0, 678/0.62 है0, 679/0.75 है0 वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में असल अप्रार्थीगण विवादित आराजी को बिला तकासमा कही रहन, बैय, हिबा, इत्यादि से मुन्तकिल ना करे, ना ही मिन प्रार्थी के काश्त कार्य मे मजाहमत पैदा करे, ना ही प्रार्थी को आराजी से जबरन बेदखल कर आराजी पर निर्माण कार्य करे व ना ही आराजी पर कब्जा करे, व रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिती बनाये रखे। तथा असल अप्रार्थीगण सं० 3 व 4 को पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजीयात से संबंधित कोई भी दस्तावेजात तस्दीक या पंजिबद्व ना करे, हल्फनामा संलग्न है।

जवाब प्रार्थना पत्र मिन अप्रार्थी स० 5 की ओर से निम्न पेश है–

1. यह है कि पैरा स० 1 इतना स्वीकार है कि उपरोक्त अनुवानी वाद अदालत श्रीमान में विचाराधीन है। बाकी पैरा गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी को कामयाबी की कोई आशा नही रखनी चाहीए।
2. यह है कि पैरा स0 2 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी ने नाकाबिल दस्तावेज व झुठा शपथ पत्र पेश किया है। इसलिए प्रार्थी का केस प्रायमा फैसाई आयद वो साबित नही है। काबिल खारीज है।
3. यह है कि पैरा स० 3 बाबत आराजीयात है जो वाके ग्राम ततारपुर तह० मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा, राज० में स्थित है। जो स्वीकार है।
4. यह है कि पैरा स० 4 गलत है स्वीकार नही है प्रार्थी व अप्रार्थीगण व तर० प्रतिवादीगण अलग–अलग काश्त कर रहे है। तथा राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा अलग –अलग दर्ज है। बंहामी बंटवारा अर्सा दराज से हो रहा है। तथा उसी अनुसार असल अप्रार्थीगण काबिज काश्त है।
5. यह है कि पैरा स० 5 गलत है स्वीकार नही है प्रार्थी एवं असल अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। तथा सामलात में कोई काश्त नहीं कर रहे है तथा असल अप्रार्थी अजीतसिंह ने अपने हिस्से को घरेलू आवश्यकता अनुसार खसरा न0 506 का 1/4 हिस्सा जर्ये रजि० बैयनामा मूल्य 4,00,000/– रू० में दिनांक 24/3/2023 को मुझ अप्रार्थी हवासिंह पुत्र इन्द्राज को बेचान कर दिया मै बोनाफाईड परचेजर हूँ तथा दावा दायरी से पूर्व आराजी खरीद कि हुई है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

6. यह है कि पैरा स० 6 गलत है स्वीकार नही है मगनी देवी उर्फ भगन के चार लडकिया है। जिनको बाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है इस कारण दावा चलने योग्य नही है काबिल खारिज है। खारिज फरमाया जावे। सजरा निम्न प्रकार है–

सुलतान सिंह

पूर्ण जितेन्द्र मुकेश शीला देवी कमलेश कुमार कमोद विधा देवी

7. यह है कि पैरा स० 7 गलत है स्वीकार नहीं है असल अप्रार्थीगण को अपनी आराजी बेचान करने का पूर्ण अधिकार है। तथा सभी पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काश्त कर रहे है तथा अलग–अलग काबिज है। प्रार्थीगण को उक्त वाद में कोई नापूर्ती होने वाली क्षति कारित नहीं होती है। इसलिए प्रार्थीगण बंटवारा कराने के अधिकारी नही है तथा ना ही प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण को हु०ई० दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है। प्रार्थीगण ने दावा झूठे तथ्यो व आधारहीन तथ्यो के आधार पर पेश किया है। जो दावा झूठे व आधारहीन तथ्यो के आधार पर पेश किया है जो दावा चलने योग्य नहीं है। काबिल खारिज है। खारिज फरमाया जावे।
8. यह है कि पैरा स० 8 गलत है स्वीकार नहीं है प्रार्थीगण ने दिनांक 26/03/2023 की कहानी मिथ्या मनघंडत दर्ज की है। प्रार्थीगण को दिनांक 26/3/2023 को कोई बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा नहीं होती है। प्रार्थीगण ने मिन अप्रार्थी स० 5 को तंग व परेशान करने के लिये दावा पेश किया है। जो दावा काबिल खारिज है। खारिज फरमाया जावे।

अतिरिक्त कथन

1. यह है कि मृतक सुलतानसिंह के चार लडकिया शीला देवी, कमोद कंवर, कमलेश कंवर, विधा देवी है। जिनको प्रार्थी ने उक्त वाद में पक्षकार नही बनाया, जिस कारण उक्त वाद चलने योग्य नही है काबिल खारिज है। खारिज फरमाया जावे।
2. यह है कि अप्रार्थी बोनाफाईड परजेचर है तथा दावा दायरी से पूर्व में खरीद करी गयी थी, तत्यो को छिपाकर दावा श्रीमान अदालत में पेश किया जो वार्ड बाई लॉ की श्रेणी में आने के कारण खारिज फरमाया जावे।
3. यह है कि उक्त वाद में विवादित आराजी पंजाब नैशनल बैंक शाखा ततारपुर तह० मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज० में रहन दर्ज है। प्रार्थी ने वाद में पक्षकार नहीं बनाया जबकि तकासमा के वाद में आवश्यक पक्षकार हैं जिस कारण भी उक्त वाद चलने योग्य नही है। खारिज फरमाया जावे।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। श्रीमान की महति कृपा होगी।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

बहस संक्षिप्त, प्रार्थीगण की ओर से

प्रथमदृष्टया (Prima Facie) मामला

विवादित आराजीयात खसरा नं. 506, 677, 678, 679 राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण व असल अप्रार्थीगण के नाम सामलात दर्ज हैं।

जमाबंदी से यह तथ्य स्पष्ट है कि आज दिन तक विधिक तकसीम (तकासमा) नहीं हुआ है। सामलात भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का इंच–इंच पर कब्जा विधि द्वारा माना जाता है, अतः बिना तकसीम किसी एक हिस्सेदार द्वारा निर्माण/बेचान अवैध है। अतः प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया मामला मजबूत है।

सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience)

यदि असल अप्रार्थीगण को बिना तकसीम निर्माण या बेचान की अनुमति दी गई तो–प्रार्थीगण के हिस्से का स्वरूप नष्ट हो जाएगा, भूमि पर अजनबी का प्रवेश हो जाएगा, अनावश्यक बहुविध मुकदमेबाजी उत्पन्न होगी।

दूसरी ओर, यथास्थिति बनाए रखने से अप्रार्थीगण को कोई वास्तविक क्षति नहीं होगी। अतः सुविधा का संतुलन पूर्णतः प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अपूरणीय क्षति (Irreparable Loss)

भूमि के स्वरूप में परिवर्तन, निर्माण व तृतीय पक्ष अधिकार सृजन से होने वाली क्षति की भरपाई धन से सम्भव नहीं है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी गई तो मूल वाद निष्फल हो जाएगा।

बोनाफाइड परचेजर का दावा असंगत

अप्रार्थी स० 5 द्वारा किया गया कथित क्रय– सामलात भूमि का है, बिना तकसीम के है, अतः ऐसा क्रय कानूनन प्रार्थीगण के अधिकारों के अधीन रहेगा। ऐसे क्रय के आधार पर निषेधाज्ञा से इंकार नहीं किया जा सकता।

आवश्यक पक्षकारों की आपत्ति

वर्तमान बहस अस्थाई निषेधाज्ञा तक सीमित है।

आवश्यक पक्षकारों की कथित कमी मुख्य वाद का विषय है, न कि हु० ई० दवामी के निराकरण का आधार। स्थिर विधि है कि केवल इस आधार पर अस्थाई राहत से वंचित नहीं किया जा सकता।

कथित पूर्व बंटवारे का कोई वैध साक्ष्य नहीं

अप्रार्थीगण द्वारा कथित आपसी बंटवारे का कोई विधिक दस्तावेज/राजस्व प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई। जब तक राजस्व रिकॉर्ड में तकसीम दर्ज नहीं होती, भूमि सामलात ही मानी जाएगी।

निष्कर्ष

प्रार्थीगण– प्रथमदृष्टया अधिकार सिद्ध करते हैं, सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में है, तथा अपूरणीय क्षति की आशंका स्पष्ट है।

सहायक कलक्टर (फा०दे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

अतः निवेदन है कि अन्तिम निर्णय तक असल अप्रार्थीगण को विवादित आराजीयात में बेचान, रहन, निर्माण, कब्जा परिवर्तन एवं प्रार्थीगण के काश्त कार्य में हस्तक्षेप से रोका जाए, तथा रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया जाए।

अप्रार्थी संक्षिप्त बहस

प्रथमदृष्टया मामला अभावग्रस्त

प्रार्थीगण यह सिद्ध करने में असफल हैं कि विवादित आराजीयात सामलात में अविभाजित है। राजस्व रिकॉर्ड व दीर्घकालीन व्यवहार से स्पष्ट है कि पक्षकार अपने–अपने हिस्से पर अलग–अलग काबिज एवं काश्तकार हैं।

कथित सामलात कब्जे का कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

बंटवारा पूर्व से प्रचलित

अर्सा दराज से आपसी / व्यवहारिक बंटवारा चला आ रहा है, उसी के अनुरूप कब्जा व काश्त है। अतः "इंच–इंच पर संयुक्त कब्जा" का दावा तथ्यहीन है।

बोनाफाइड परचेजर का अधिकार अप्रार्थी सं० 5 ने दिनांक 24.03.2023 को मूल्य देकर, दावा दायर होने से पूर्व, वैध रूप से अपने हिस्से का क्रय किया। bona fide purchaser के वैधानिक अधिकारों पर अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं लगाई जा सकती।

सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में

निषेधाज्ञा से अप्रार्थी सं० 5 को वैध संपत्ति के उपयोग से वंचित किया जाएगा। प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति नहींय वे अपने हिस्से पर यथावत काश्त कर रहे हैं।

अपूरणीय क्षति का अभाव

प्रार्थीगण द्वारा कथित क्षति अनुमानात्मक है।

यदि अंतिम निर्णय प्रार्थीगण के पक्ष में भी आता है तो क्षतिपूर्तिध्समायोजन संभव है।

आवश्यक पक्षकारों का अभाव

मृतक सुलतानसिंह की चार पुत्रियाँ आवश्यक पक्षकार हैं, जिन्हें वाद में सम्मिलित नहीं किया गया। आवश्यक पक्षकारों के बिना वाद अचलनीय हैय ऐसे में अस्थाई राहत नहीं दी जा सकती।

बैंक रहन व छुपाए गए तथ्य

विवादित आराजी पर पंजाब नेशनल बैंक का रहन दर्ज है, बैंक को पक्षकार नहीं बनाया गया। तथ्य छुपाकर वाद दायर करना वार्ड बाई लॉ हैय प्रार्थीगण विवेकाधीन राहत के पात्र नहीं।

घटना दिनांक 26.03.2023 असत्य

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

कथित मजाहमत/धमकी का कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं।
कहानी मनगढ़ंत है, केवल अप्रार्थी को परेशान करने हेतु।

निष्कर्ष
प्रार्थीगण प्रथमदृष्टया अधिकार, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति–तीनों कसौटियों पर विफल हैं।
अतः हु० ई० दवामी प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जाना न्यायोचित है।

संक्षिप्त विवेचन
अदालत ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, संलग्न दस्तावेजात, हलफनामे, जवाब प्रार्थना पत्र, अतिरिक्त कथन एवं दोनों पक्षों के समंतदमक अधिवक्ताओं की बहस पर विचार किया।

प्रथमदृष्टया अधिकार (Prima Facie Case)
विवादित आराजीयात खसरा नं. 506, 677, 678, 679 ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा स्थित हैं। उपलब्ध नकल जमाबन्दी से स्पष्ट है कि उक्त आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण एवं असल अप्रार्थीगण के नाम सामलात दर्ज हैं। आज दिनांक तक उक्त आराजीयात का विधिक तकसीम (तकासमा) नहीं हुआ है।

सामलात भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का इंच–इंच पर संयुक्त कब्जा विधि द्वारा माना जाता है। अतः बिना तकसीम किसी एक सहखातेदार द्वारा निर्माण या बेचान किया जाना प्रथमदृष्टया अवैध प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया मामला सिद्ध होता है।

सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience)
यदि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जाती है और अप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी में निर्माण अथवा तृतीय पक्ष हित सृजित किए जाते हैं, तो भूमि का स्वरूप परिवर्तित हो जाएगा एवं प्रार्थीगण के अधिकार प्रभावित होंगे। इसके विपरीत, यथास्थिति बनाए रखने से अप्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति कारित नहीं होगी। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अपूरणीय क्षति (Irreparable Loss)
भूमि पर निर्माण, बेचान अथवा कब्जा परिवर्तन से उत्पन्न क्षति की पूर्ति केवल धन से सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में मूल वाद निष्फल हो जाने की पूर्ण सम्भावना है। अतः प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की आशंका स्पष्ट है।

अप्रार्थी स० 5 का कथित क्रय
अप्रार्थी स० 5 द्वारा किया गया कथित क्रय सामलात आराजी का है तथा बिना विधिक तकसीम के किया गया है। ऐसा क्रय सहखातेदारों के अधिकारों के

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

अधीन रहेगा और इस आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा से इंकार नहीं किया जा सकता।

आवश्यक पक्षकारों की आपत्ति
आवश्यक पक्षकारों के संबंध में उठाई गई आपत्तियाँ मुख्य वाद के विचारणीय विषय हैं। केवल इस आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा से इंकार करना न्यायोचित नहीं है।

निष्कर्ष
उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण–प्रथमदृष्टया अधिकार स्थापित करते हैं, सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में है, तथा अपूरणीय क्षति की आशंका विद्यमान है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है और अन्तिम निर्णय होने तक अप्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात खसरा नं. 506, 677, 678, 679 वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

यह निर्णय आज दिनांक 19.01.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन) सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
सहायक कलक्टर मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0